न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 143/2013(रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 10.12.2013

जे.के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज. जरिये एम. एल. गोयल वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) जे. के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा

–प्रार्थी

बनाम

श्री चारभुजाजी स्थान देह (मालियाखेड़ी) तहसील निम्बाहेड़ा, जरियेः–
1–आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर
2–बद्रीदास पिता जगन्नाथ दास बैरागी निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा
3–भवानीराम पिता लक्ष्मण अहीर निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा
4–भगवानलाल पिता पृथ्वीराज अहीर निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा
5–भगवतीसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा
6–कैलाश पिता माधवलाल अहीर निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत चूना–पत्थर खदान मालियाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा स्थित प्रार्थी जे. के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा की स्वीकृत माइनिंग लीज के अन्दर प्रभावित होने वाले अप्रार्थी की भूमि पर खनन करने की अनुमति व सरफेस रेंट पर करने बाबत।

उपस्थितिः 1–श्री मनोहरलाल दक, अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी
2–निरीक्षक देवस्थान विभाग, उदयपुर
3–श्री ललित कुमार झंवर, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 6

निर्णय

दिनांक 07.11.2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चूना–पत्थर खदान मालियाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा स्थित उसके स्वीकृत माईनिंग लीज एरिया में स्थित श्री चारभुजाजी स्थान देह मालियाखेड़ी की आराजी नम्बर 74 एवं 242 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को खनन कार्य हेतु आवश्यकता होने से भूमि का मुआवजा निर्धारण कराया जाकर, बाद भुगतान मुआवजा भूमि को बिलानाम सरफेस रेंट पर खनन प्रयोजनार्थ दिलाई जाने बाबत निवेदन करने पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 47/2011(रे.वि.) पंजीबद्ध

किया जाकर दिनांक 30.08.2011 को भूमि की मुआवजा राशि 1604624/-रूपये निर्धारित कर, मुआवजा राशि का चैक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के नाम जारी कर बाद मुआवजा भुगतान सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु अंकन करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर विपक्षी संख्या 2 से 6 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की, कि विपक्षीगण मन्दिर की भूमि की सेवा-पूजा एवं प्रबन्धन का कार्य करते हैं। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, नाबालिग के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, जिसके हितों के संरक्षण के लिए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2013 को अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2011 को अपास्त कर प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किये जाने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से निरीक्षक देवस्थान विभाग, उदयपुर उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमार झंवर ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रार्थी कम्पनी ने आपत्ति पेश की। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब एवं आपत्ति का जवाब प्रस्तुत करने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 30.08.2011 को पारित निर्णय की पालना में प्रार्थी कम्पनी की ओर से राशि 1604624/- रूपये का चैक देवस्थान विभाग, उदयपुर को भेजा गया है जिसकी राशि उन्हें प्राप्त हो चुकी है देवस्थान विभाग को भुगतान करने के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों चारभुजा स्थान देह के पुजारी भगवानदास, बद्रीदास, रतनदास, टमु पिता जगन्नाथ दास बैरागी निवासी मालियाखेड़ी ने प्रार्थी कम्पनी से राशि 13,50,000/- रूपये प्राप्त कर राजीनामा कर लिया है व मौके पर कब्जा प्रार्थी कम्पनी को सौंप दिया है। पुष्टि में इकरार नामा भरपाई प्रस्तुत है। इसके अलावा चारभुजा मन्दिर की सेवा-पूजा हेतु एक समिति, श्री चारभुजा सेवा समिति, मालियाखेड़ी के नाम से बनी हुई है जो मन्दिर के रख-रखाव व पूजा-अर्चना, मरम्मत आदि का काम करती है जिसका अनुमानित मासिक खर्च 8000/- रूपये प्रकट किया गया एवं ग्राम पंचायत फलवा द्वारा मन्दिर की सेवा-पूजा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन प्रार्थी कम्पनी को किये जाने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उक्त चारभुजा मन्दिर सेवा समिति को 11,51,000/- रूपये की आर्थिक सहायता श्री चारभुजा मन्दिर की भूमि माइनिंग लीज मे अवाप्ति की एवज में प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार मुआवजा राशि देवस्थान विभाग को 1604624/- रूपये, इसके अतिरिक्त पुजारीगण को 1350000/- रू. एवं गठित समिति को 1151000/- रू. कुलिया राशि

41,05,624/- रूपये भुगतान किया जा चुका है। अब ओर कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण फैसल फरमावे।

देवस्थान निरीक्षक, उदयपुर का मुख्य कथन यह रहा कि आयुक्त देवस्थान विभाग को पूण्यार्थ-विन्यास का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिससे श्रीचारभुजा मन्दिर मालियाखेड़ी की खातेदारी की कृषि भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ही है। अतः मुआवजा राशि देवस्थान विभाग को ही दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 2 से 6 के अधिवक्ता ने जवाब एवं आपत्ति के जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अवाप्त की जाने वाली भूमि काफी उपजाऊ है दो फसली है उक्त आराजीयात की कम से कम कीमत पचास लाख रूपये प्रति बीघा है प्रार्थी कम्पनी के पास खनन हेतु भूमि उपलब्ध है जिससे उक्त आराजीयात की कम्पनी को आवश्यकता नहीं है हम विपक्षी मन्दिर की देखभाल कर रहे हैं व अवाप्ति से हम बेरोजगार हो जावेंगे जिससे हम सभी को नौकरी पर लिया जाना चाहिये। मन्दिर की जमीन अवाप्त की जा रही है जिससे मन्दिर को प्राप्त होने वाली राशि पूर्व के अनुसार सिर्फ देवस्थान विभाग में ही जमा होनी चाहिये। मन्दिर की जमीन बाबत राशि पुजारियों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है कम्पनी ने न्यायालय आदेश के बिना कोई भुगतान पुजारियों को किया है तो उससे मन्दिर मूर्ति पाबन्द नहीं है इसी प्रकार कम्पनी ने यदि कोई अनाधिकृत भुगतान चारभुजाजी सेवा समिति को किया है तो उससे मूर्ति मन्दिर जो अवयस्क है पाबन्द नहीं है। मुआवजा राशि आज की कीमत से जो भी तय हो न्यायालय आपके निर्देशानुसार देवस्थान विभाग में जमा कराने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 37 से आयुक्त, देवस्थान विभाग को पुण्यार्थ विन्यासों का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम के उपबन्ध चेरिटेबल एन्डोमेन्ट्स एक्ट 1890 (सेन्ट्रल एक्ट 6 ऑफ 1890) के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है जिससे श्री चारभुजाजी स्थान देह मालियाखेड़ी के मन्दिर भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी देवस्थान विभाग, उदयपुर है तथा इसके अतिरिक्त कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी कम्पनी ने पुजारीगण को आपसी राजीनामा करके 13,50,000/- रूपये तथा चारभुजा सेवा समिति, मालियाखेड़ी को 11,51,000/- रूपये की जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है वह बिना किसी सक्षम आदेश के कराई गई है जिसके लिये प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेदार है। विपक्षीगण संख्या 2 से 6 ने भी मुआवजा राशि का भुगतान देवस्थान विभाग, उदयपुर को कराने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 से मुआवजा राशि का भुगतान आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को ही किये

जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः दिनांक 30.08.2011 से मालियाखेड़ी की आराजी नम्बर 74 रकबा 1.17 बीघा एवं आराजी नम्बर 242 रकबा 4.06 बीघा किता 2 कुल क्षेत्रफल 6.03 बीघा भूमि के मुआवजा निर्धारण की राशि 1604624/- रूपये का भुगतान आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को करने का पारित आदेश यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)